रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 779] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 1989/कार्तिक 26, 1911
No. 779] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 1989/KARTIKA 26, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1989

का. आ. 958(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (तीसरा संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में,—

(i) नियम 59 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'59क. पंजाब में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की गणना—

पंजाब राज्य में ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में, जो निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में विनिर्दिष्ट किए जाएं, मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की गणना के संबंध में, नियम 55, नियम 56, नियम 57 और नियम 59 के स्थान में निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात्:—

"55क. मतपेटियों की संवीक्षा और उनका खोला जाना—

(1) रिटर्निंग आफिसर एक से अधिक मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों को एक साथ खोलेगा या खुलवाएगा और ऐसी मतपेटी या मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या की गणना करेगा और उसे प्ररूप 16क के भाग 2 में अभिलिखित करेगा:

परन्तु पूर्वोक्त रूप में अभिलिखित ऐसे मतपत्रों की कुल संख्या और भाग 1 की मद सं. 5 के सामने दर्शित मतपत्रों की कुल संख्या के बीच कोई फर्क, यदि कोई हो, प्ररूप 16क के भाग 2 में भी अभिलिखित किया जाएगा।

(2) जो गणन अभिकर्ता गणना पटल पर उपस्थित हैं उस पटल पर किसी मतपेटी के खोले जाने के पहले उन्हें उस पत्र मुद्रा या ऐसी अन्य मुद्रा का, जो उस पर लगी हो, निरीक्षण और अपना यह समाधान कि वह ठीक है, करने दिया जाएगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि मतपेटियों में से किसी में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है।

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि किसी मतपेटी में वास्तव में कोई गड़बड़ की गई है तो वह उस पेटी में अंतर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र की बाबत धारा 58 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा।

56ख. मतों की गणना :—(1) ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियों से निकाले गए मतपत्रों को एकत्र साथ मिलाया जाएगा और तब उन्हें सुविधाजनक बंडलों में रखा जाएगा और उनकी संवीक्षा की जाएगी।

(2) रिटर्निंग आफिसर मतपत्र को प्रतिक्षेपित उस दशा में कर देगा यदि —

(क) उस पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है, जिससे निर्वाचक का अभिज्ञान किया जा सकता है, अथवा

(ख) उस पर कोई चिह्न ही नहीं है, या, मत उपदर्शित करने के लिए मतपत्र पर सामने की ओर अभ्यर्थियों में से किसी एक के प्रतीक पर से या उसके निकट से अन्यत्र ऐसा कोई चिह्न है, या ऐसा चिह्न है जो उस प्रयोजन के लिए प्रदाय किए गए उपकरण से लगाने से अन्यथा लगाया गया है, अथवा

(ग) उस पर एक अभ्यर्थी से अधिक के पक्ष में मत दिए गए हैं, अथवा

(घ) उस पर मत उपदर्शित करने वाला चिह्न ऐसी रीति में लगाया गया है जिसमें कि यह बात शंकास्पद हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है, अथवा

(ङ) वह बनावटी मतपत्र है, अथवा

(च) वह ऐसे क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है, अथवा

(छ) यह उस विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के, यथास्थिति, क्रम संख्याकों से भिन्न क्रम संख्यांक या परिकल्पों से भिन्न परिकल्प का है, अथवा

(ज) उस पर वह चिह्न और वह हस्ताक्षर दोनों ही नहीं है जो उस पर नियम 38 के उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन होने चाहिए थे :

परन्तु जहां कि रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में वर्णित जैसी कोई त्रुटि, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है वहां मतपत्र केवल ऐसी त्रुटि के आधार पर ही प्रतिक्षेपित न किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कोई मतपत्र केवल इस आधार पर कि मत उपदर्शित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित न किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए होगा, मतपत्र चिह्नित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

(3) रिटर्निंग आफिसर किसी मतपत्र को उपनियम (2) के अधीन प्रतिक्षेपित करने से पहले हर एक गणन अभिकर्ता को, जो उपस्थित है, मतपत्र के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा, किन्तु उसे उस मतपत्र को या अन्य किसी मतपत्र को हाथ नहीं लगाने देगा।

(4) रिटर्निंग आफिसर ऐसे हर मतपत्र पर जिसे वह प्रतिक्षेपित करता है, अक्षर "प्र" और प्रतिक्षेपण के आधारों को संक्षिप्त रूप में या तो स्वहस्तेन लिखकर या रबड़ स्टाम्प से पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन पर आद्याक्षर करेगा।

(5) इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित किए गए सभी मतपत्र एक साथ बंडल में बांधे जाएंगे।

(6) हर मतपत्र की, जिसे इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित नहीं किया गया है, एक विधिमान्य मत के रूप में गणना की जाएगी :

परन्तु निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट रखने वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी।

(7) किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियों में अंतर्विष्ट सभी मतपत्रों की गणना खत्म हो जाने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 20क में परिणाम पत्र में प्रविष्टियां करेगा और विशिष्टियां आख्यापित करेगा।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजन के लिए "निर्वाचन क्षेत्र" अभिव्यक्ति से किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के संबंध में, उसमें समाविष्ट सभी निर्वाचन क्षेत्र अभिप्रेत है।

57ख. उपयोग में लाए गए मतपत्रों को मुद्राबन्द करना—

तत्पश्चात् हर एक अभ्यर्थी के विधिमान्य मतपत्रों को, और प्रतिक्षेपित मतपत्रों को पृथक-पृथक बंडलों में बांधा जाएगा और कई बंडलों का पृथक पैकेट बनाया जाएगा जिसे रिटर्निंग आफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा और ऐसे मुद्राबंद पैकेटों पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) निर्वाचन-क्षेत्र का नाम; और

(ख) गणना की तारीख "।

(ii) प्ररूप 16 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 16क

[नियम 45 और 55ख (1) देखिए]

(नियम 59क के अधीन विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाए)

.....निर्वाचन क्षेत्र से.....के लिए निर्वाचन।

सभा खंड का नाम .....

(संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में)

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम .....

	क्रम संख्या	
		कुल संख्या
	से	तक

1. प्राप्त मतपत्र .....

2. उपयोग में न लाए गए मतपत्र (अर्थात्, जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं) :

(क) जिन पर पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर हैं;

(ख) जिन पर पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर नहीं हैं । .....

जोड़ : (क+ख)

.....

3. *मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए गए मतपत्र

(1* 2=3) ....

4.*मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र : .....

(क) नियम 39 के अधीन मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र

(ख) अन्य कारणों से रद्द किए, गए मतपत्र

(ग) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्र

जोड़ : (क+ख+ग) .....

5. *मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र .....
(3—4= 5)

*(क्रम संख्यांक देने की आवश्यकता नहीं है)

तारीख .....

पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर

भाग 2 आरंभिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मत पेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या .....

2 इस भाग में मद 1 के सामने दर्शित कुल संख्या और भाग 1 की मद 5 में वर्णित मतपेटी (मत पेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या के बीच फर्क, यदि कोई हो ।

तारीख .....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर";

(iii) प्ररूप 20 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"प्ररूप 20क

अंतिम परिणाम-पत्र

(नियम 56 ख (7) देखिए)

(नियम 59क के अधीन विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर मतदान का परिणाम अभिलिखित करने के लिए उपयोग में लाया जाए)

.....निर्वाचन क्षेत्र से

.....के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र सं.	मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए कुल मत	विनिदत्त मतों की संख्या
(1)	.....	.....
(2)	.....	.....
(3)	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

जोड़

	अभ्यर्थियों के विधिमान्य मत				कुल विधिमान्य मत और प्रतिक्षेपित मतपत्रों की संख्या	कुल विधिमान्य और प्रतिक्षेपित मत
1. अभ्यर्थियों के पक्ष में अभिलिखित विधिमान्य मतों और प्रतिक्षेपित मतपत्रों की कुल संख्या	क	ख	ग	घ		
पहला दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....
दूसरा दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....
तीसरा दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....
चौथा दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....
पांचवा दौर	.....	.....	.....	.....	.....	.....
जोड़						
2. अभ्यर्थियों के पक्ष में डाक मतपत्रों पर अभिलिखित विधिमान्य मतों और प्रतिक्षेपित डाक मतपत्रों की कुल संख्या	.....	.....	.....	.....	.....	.....
कुल जोड़						

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

(केवल संसदीय निर्वाचन के लिए)

सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थियों के विधिमान्य मत				कुल विधिमान्य मत	प्रतिक्षेपित मतपत्रों की संख्या	कुल विधिमान्य और प्रतिक्षेपित मत
	क	ख	ग	घ			
I 1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. आदि	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
जोड़							

II. अभ्यर्थियों के पक्ष में डाक मतपत्रों पर अभिलिखित विधिमान्यमतों और प्रतिक्षेपित डाक मतपत्रों की कुल संख्या	
कुल जोड़	

स्थान
तारीख

रिटर्निंग आफिसर"

[एफ. नं. 7 (31)/89-Leg-II]
आदेश से,
वी.एस. रमा देवी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 1989

S.O. 958(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Conduct of Elections (Third Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Conduct of Elections Rules, 1961,—

(i) after rule 59, the following rule shall be inserted, namely :—

'59A. Counting of votes in specified constituencies in Punjab.—In relation to the counting of ballot papers found in ballot boxes used at the polling stations in such constituencies in the State of Punjab as may be specified by the Election Commission in the official Gazette, in lieu of rules 55, 56, 57 and 59, the following rules shall apply, namely :—

'55B. Scrutiny and opening of ballot boxes.—(1) The returning officer shall open, or cause to be opened, simultaneously the ballot box or boxes used at more than one polling station and shall have the total number of ballot papers found in such box or boxes counted and recorded in Part II of Form 16 :

Provided that discrepancy, if any, between the total number of such ballot papers recorded as aforesaid and the total number of ballot papers shown against item No. 5 of Part I shall also be recorded in Part II of Form 16.

(2) Before any ballot box is opened at a Counting table, the counting agents present at that table shall be allowed to inspect the paper seal or such other seal as might have been affixed thereon and to satisfy themselves that it is intact.

(3) The returning officer shall satisfy himself that none of the ballot boxes has in fact been tampered with.

(4) If the returning officer is satisfied that any ballot box has in fact been tampered with, he shall not count the ballot papers contained in that box and shall follow the procedure laid down in section 58 in respect of that polling station.

56B. Counting of votes.—(1) Subject to such general or special directions, if any, as may be given by the Election Commission in this behalf, the ballot papers taken out of all boxes used in a constituency shall be mixed together and then arranged in convenient bundles and scrutinised.

(2) The returning officer shall reject a ballot paper—

(a) if it bears any mark or writing by which the elector can be identified, or

(b) if it bears no mark at all or, to indicate the vote, it bears a mark elsewhere than on or near the symbol of one of the candidates on the face of the ballot paper or, it bears a mark made otherwise than with the instrument supplied for the purpose, or

(c) if votes are given on it in favour of more than one candidate, or

(d) if the mark indicating the vote thereon is placed in such manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been given, or

(e) if it is a spurious ballot paper, or

(f) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established, or

(g) if it bears a serial number, or is of a design, different from the serial numbers, or, as the case may be, design, of the ballot papers authorised for use at the particular polling station, or

(h) if it does not bear both the mark and the signature which it should have borne under the provisions of sub-rule (1) of rule 38 :

Provided that where the returning officer is satisfied that any such defect as is mentioned in clause (g) or clause (h) has been caused by any mistake or failure on the part of a presiding officer or polling officer, the ballot paper shall not be rejected merely on the ground of such defect :

Provided further that a ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be for a particular candidate clearly appears from the way the paper is marked.

(3) Before rejecting any ballot paper under sub-rule (2), the returning officer shall allow each counting agent present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to handle it or any other ballot paper.

(4) The returning officer shall endorse on every ballot paper which he rejects the word "Rejected" and the grounds of rejection in abbreviated form either in his own hand or by means of a rubber stamp and shall initial such endorsement.

(5) All ballot papers rejected under this rule shall be bundled together.

(6) Every ballot paper which is not rejected under this rule shall be counted as one valid vote :

Provided that no cover containing tendered ballot papers shall be opened and no such paper shall be counted.

(7) After the counting of all ballot papers contained in all the ballot boxes used in a constituency has been completed, the returning officer shall make the entries in a result sheet in Form 20 and announce the particulars.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression "constituency" shall, in relation to an election from a parliamentary constituency, mean the assembly constituency comprised therein.

57B. Sealing of used ballot papers.—The valid ballot papers of each candidate and the rejected ballot papers shall thereafter be bundled separately and the several bundles made up into a separate packet which shall be sealed with the seals of the returning officer, and of such of the candidates, their election agents or counting agents as may desire to affix their seals thereon : and on the pockets so sealed shall be recorded the following particulars, namely :—

(a) the name of the constituency; and

(b) the date of counting.'.

(ii) after Form 16, the following Form shall be inserted, namely :—

"FORM 16"

[See rules 45 and 55B(1)]

(To be used in constituencies specified under rule 59A)

Election to the.....from the..... constituency.

Name of Assembly Segment.....
(in the case of election from a Parliamentary constituency)

No. and Name of Polling Station.....

	Serial Nos. From	To	Total No.

1. Ballot papers received

2. Ballot papers unused (i.e. not issued to voters)—

   (a) With the signature of Presiding Officer

   (b) Without the signature of Presiding Officer .....

   Total : (a+b)

3. *Ballot papers used at the Polling Station .....

   (1—2=3) .....

   .....

4. *Ballot papers used at the polling station but

   NOT INSERTED INTO THE BALLOT BOX :

   (a) Ballot papers cancelled for violation of voting procedure under rule 39

   (b) Ballot papers cancelled for other reasons

   (c) Ballot papers used as tendered ballot papers

   .....

   Total : (a+b+c)

   .....

5. *Ballot papers to be found in the ballot box
   (3—4=5)

*(Serial numbers need not be given)

Date..... Signature of the Presiding Officer

Part-II Result of Initial Counting

1. Total number of ballot papers found in the ballot box(es) used at the polling station.....

2. Discrepancy, if any, between the total number as shown against item 1 in this Part and the total number of ballot papers to be found in the ballot box(es) shown in item 5 of Part I.....

Date..... Signature of Counting Supervisor

Signature of the Returning Officer;"

(iii) after Form 20 the following Form shall be inserted, namely :—

FORM 20

Final Result Sheet

[See rule 56B(7)]

(To be used for recording the result of voting at polling stations in constituencies specified under rule 59A)

Election to the.....
from the.....constituency

Polling Station No.	Total votes found in the ballot box(es)	No. of tendered votes
(1)	....	....
(2)	....	....
(3)	....	....
.....	....	....
.....	....	....
.....		

TOTAL

1. Total number of valid votes recorded for candidates and of rejected ballot papers	Candidates' valid votes				Valid Votes Total	Number of rejected ballot papers	Valid and rejected votes Total
	A	B	C	D			
1st round	..	..	..	..	..	..	..
2nd round	..	..	..	..	..	..	..
3rd round	..	..	..	..	..	..	..
4th round	..	..	..	..	..	..	..
5th round	..	..	..	..	..	..	..
.....							
.....							
.....							
.....etc.							
TOTAL							

2. Total number of valid votes recorded on postal ballot papers for candidates and of rejected postal ballot papers	
GRAND TOTAL	

Returning Officer

Place.....

Date.....

(For Parliamentary elections only)

Name of assembly constituency	Candidates' valid votes				Valid Votes Total	Number of rejected ballot papers	Valid and rejected votes Total
	A	B	C	D			
I. 1.							
2.							
3. etc.							
TOTAL							
II. Total number of valid votes recorded on postal ballot papers for candidates and of rejected postal ballot papers							
GRAND TOTAL							

Place.....

Date..... Returning Officer

[F. No. 7(31)/89-Leg. II]
V.S. RAMA DEVI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989